प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र सं0 01–डी / आर0एन0टी0सी0पी0 / एन0पी0 / 2018–19/1698 दिनांक 25/05/18

विषयः पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यकम के अंतर्गत राज्य स्तर पर वर्ष 2018–19 में कमिटेड करायी गयी धनराशि के सापेक्ष जनपदो को धनराशि उपयोग / व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त निदेशक, क्षय के पत्र सं0–एसटीसीएस / 150 / 2010 / 2018–19 / 558 दिनांक 11.05.2018 एवं पत्र सं0–एसटीसीएस / 150 / 2010 / 2018–19 / 553 दिनांक 11.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्तर पर रक्षित करायी गयी धनराशि से क्रमशः ए0सी0एफ0 गतिविधि के लिए आर0एन0टी0सी0पी0 मद से रू0 1001.85 लाख एवं मिशन फ्लैक्सीपूल मद से धनराशि रू0 558.43 लाख तथा सामान्य जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु रू0 715.56 लाख इस प्रकार कुल रू0 2277.84 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी जनपदवार फांट के अनुसार अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में संज्ञान में लाना है कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित धनराशि का उपयोग / व्यय संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार सम्बन्धित जनपदो में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेंट धनराशि से किया जाना है। उक्त क्रम में जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु धनराशि का उपयोग / व्यय किये जाने के सम्बन्ध में जनपदो को विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0 01–डी / आर0एन0टी0सी0पी0 / एन0पी0 / 2018–19/1698–8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. संयुक्त निदेशक, क्षय, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

---2

5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 आशु पाण्डेय)
महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम